तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	24/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० [illegible] खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय हुक्म [illegible] अनुसार पत्रावली किया गया। [illegible] 24/11/25 [illegible] (सीका)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई, जिला दौसा

मु.न. 164 / 2023
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 06.10.2023
निर्णय दिनांक 24.11.2025

उनवान

1. छोटेलाल पुत्र मूल्या
2. प्रेमचन्द पुत्र मूल्या
3. ताराचन्द
4. केशव — पुत्रान ओमप्रकाश
5. पुष्पेन्द्र
6. उगन्ति पत्नी ओमप्रकश
7. ऊषा पुत्री सोहनलाल पत्नी रघुनाथ
8. नाची पुत्री सोहनलाल पत्नी रामेश्वर

समस्त जाति कोली निवासी पामाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा। जाति कोली निवासी चौबडीवाला तहसील बसवा जिला दौसा।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—प्रतिवादी

दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादीगण दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का जरिये वकील विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में पेश किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:— वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना जाति कोली ग्राम पामाडी के निवासी रहे है। वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना को दिनांक 11.09.1976 को साबिक खसरा नं. 113 मिन में से 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन तत्कालीन राजस्व अहलकारान द्वारा किया गया था। वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना उक्त आवंटित शुदा भूमि पर काबिज काश्त रहे है और अब वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। आवंटन आदेश की प्रति संलग्न वाद पत्र है। साबिक खसरा नं. 113 मिन के नये खसरा नं. 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर बने है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 से 2071 संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर साबिक खसरा नं. 113 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने काफी लागत लगाकर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है और आवंटन के पश्चात् से ही अनवरत बिना किसी बाधा या रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण भूमि उपरोक्त के कानूनन खातेदार काश्तकार है और इसी आशय की उद्घोषणा अपने हक में करवाने के हकदार है। तत्कालीन अहलकारान के आदेश दिनांक 11.09.1976 जिसके द्वारा वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना जाति काली के साथ—साथ अन्य 28 लोगों को भी भूमि का आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन आदेश की पालना में तत्कालीन राजस्व अहलकारान ने वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना के हक में नामान्तकरण स्वीकृत नही किये जाने के कारण वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना के

Scanned with OKEN Scanner

नाम उक्त आवंटनशुदा भूमि का इन्द्राज नही हो सका, जबकि अन्य लोगो के नाम आवंटन आदेश दिनांक 11.09.1976 की पालना में आवंटनशुदा भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 11.09.1976 आज दिन तक प्रभावी है वादीगण आवंटन आदेश दिनांक 11.09.1976 की पालना में मूल्या पुत्र भुवाना को आवंटित भूमि साबिक खसरा नं. 113 मिन रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नं. 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार है और अपने हक में इसी आशय की उद्घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के कानूनन हकदार है। साबिक खसरा नं. 113 की किस्म बंजड 2 रही है। उक्त भूमि कभी भी नदी, नाले की भूमि नही रही है। जमाबन्दी संवत 2026 से 2052 संलग्न वाद पत्र है। परन्तु तत्कालीन राजस्व अहलकारान ने बिना किसी सक्षम न्यायालय व प्रशासनिक आदेश के वादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र भुवाना को आवंटितशुदा भूमि 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि को वादीगण के पूर्वज मूल्या के नाम दर्ज नही करके विधि विरूद्ध तरीके से चरागाह केरूप में दर्ज कर दिया और सैटलमेन्ट विभाग ने भी विधि विरुद्ध तरीके से आवंटितशदा भूमि की किस्म को गैर मु. नाला दर्ज कर दी गई। राजस्व रिकार्ड में किया गया इन्द्राज विधि विरुद्ध है जिन्हे हटाया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा हाल खसरा नं. 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी साबिक खसरा नं. 113 मिन का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना इन्साफन व काननून न्यायोचित है। वादीगण आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन दिनांक 11.09.1976 से पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पूर्वज मुल्या पुत्र भुवाना पूर्णतया खेतीबाडी पर निर्भर रहे है। भूमि आवंटित होने के बाद भी उसकी खातेदारी इनके नाम नही रही इसकी जानकारी कभी भी वादीगण को नही रही है। दिनांक 30.06.2023 को जब वादीगण ने अपने कब्जे काश्त के खेतो की जमाबन्दी के.सी.सी. लेने के लिए निकलवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गये तब पहली बार वादीगण को भूमि वादग्रस्त के चरागाह के रूप में दर्ज होने की जानकारी लगी, तब राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करके दावा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश है। भूमि वादग्रस्त पर वादीगण अपने पूर्वजो को आवंटन के समय दिनाक 11.09.1976 से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण भूमि खसरा नं. 459 पर विधिक रूप से काबिज काश्त है। वादीगण भूमि वादग्रस्त पर काफी लम्बे समय से बिना किसी बाधा या रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी को भूमि वादग्रस्त से बेदखल किये जाने का कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाना कानूनन व इन्साफन न्यायोचित है कि वे स्वयं या अपने प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से वादीगण को भूमि खसरा नं. 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर वाके गाँव पामाडी में से जबरन बेदखल ना करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यया स्थिति बनाये रखे। वादग्रस्त भूमि की सकूनत अन्दर हाजा न्यायालय स्थित होने के कारण वाद पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतएव वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाद जाँच स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री पारित फरमायी जावेः– भूमि खसरा नं. 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी साबिका खसरा नं. 113 मिन को प्रतिवादी की खातेदारी से हजफ किया जाकर वादीगण को भूमि उक्त का खातेहार काश्तकार घोषित किया जावे तया राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नं. 459 की खातेदारी वादीगण के नाम टर्ज की जावे तथा खसरा नं. 459 की किस्म गैर मु. नाला के स्थान पर बारानी दर्ज की जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे भूमि वादीग्रस्त से वादीगण को जबरन

Scanned with OKEN Scanner

बेदखल ना करे, भूमि खसरा नं. 459 की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण करवाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में निम्न प्रकार जबाब पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

वादपत्र में जबाब बिन्दुकर निम्न प्रकार है:–
1. भूमि साबिक खसरा नं. 113 मि0 रकबा 3 बीघा 12 बिस्सा हाल खसरा नं. 459 रकबा 0.75 है0 वर्तमान जमाबन्दी सं. 2075–2078 के खाता सं. 171 में चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चरागाह भूमि में नियमानुसार खातेदारी अधिकार (आवंटन) निजी खातेदारी हेतु किया जाना विधि अनुकूल नहीं है। 2. बिन्दु सं. 2 रिकॉर्ड के अनुसार है। 3. बिन्दु सं. 1 से सम्बन्धित है। 4. आवंटन आदेश के आधार पर वादी अमल दरामद चाहता है लेकिन भूमी चारागाह होने के कारण आदिनांक तक खाते में अमल दरामद की कार्यवाही नहीं हुई है। क्योंकि प्रतिबन्धित भूमी में आवंटन की कार्यवाही हुई है। वर्तमान में खसरा नं. 459 रकबा 0.75 की किस्म गै0 मु0 नाला चारागाह के खाते में दर्ज है। 5. जमाबंदी संख्या 2026 से 2052 संलग्न वादपत्र नहीं है। जमाबंदी संख्या 2034–2037 भू–प्रबन्ध से पूर्व की संलग्न है। जिसमें भी साबिक ख0 नं. 113 मि0 15 बीघा 1 बिस्सा की किस्म बन्जर चारागाह दर्ज है। 6. वादी से सम्बन्धित है। वह स्वयं सिद्ध करे। 7.वर्तमान रिकॉर्ड में भूमि चारागाह के खाते में किस्म गै0 मु0 नाला दर्ज होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं किये जायें व नहीं स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। क्योंकि आवंटन प्रतिबन्धित भूमी (चारागाह) में से हुआ है। 8. न्यायालय हाजा से सम्बन्धित है। 9. खसरा नं. 459 रकबा 0.75 है साबिक खसरा नं. 113 मि0 प्रतिबन्धित भूमी में आवंटित होने के कारण आवंटन से आदिनांक तक वादी के पक्ष में अमल दरामद नहीं हुआ है और वर्तमान में प्रतिवादी के नाम चारागाह के खाते में किस्म गै0 मु0 नाला के रूप में दर्ज है जो सही है, का दावा निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी। तनकी सं. 1 आया वादीगण भूमी खसरा नं. 459 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम पामडी साबिक खसरा नं. मिन 113 को प्रतिवादी की खातेदारी से हजब किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का अधिकारी है। तनकी सं. 2 आया वादीगण को वादग्रस्त भूमी से जबरन बेदखल नहीं करने एवं भूमी खसरा नं. 459 की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाने का अधिकारी है। तनकी सं. 3 आया प्रतिवादीगण वर्तमान रिकॉर्ड में आवंटन प्रतिबंधित भूमी (चरागाह) के खाते में किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं किये जाने व न ही वादग्रस्त भूमी में निषेधाज्ञा जारी की जावे के अधिकारी है। प्रतिवादी तनकी सं. 4 अनुतोष

पत्रावली वादी साक्ष्य पर नियत की गई। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। पत्रावली बहस पर नियत की गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान दावे में किये गये कथनों को दोहराते हुये वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:– तनकी सं. 1 आया वादीगण भूमी खसरा नं. 459 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम पामडी साबिक खसरा नं. मिन 113 को प्रतिवादी की खातेदारी से हजब किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का अधिकारी है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–2071 प्रदर्श 2 नकल खतौनी संवत 2034–2037 प्रदर्श 3 ग्राम पामाडी की जमाबंदी खाता सं. नया 171 पुराना 170 प्रदर्श 4 भूमी आवंटन सूची पेश किये गये है। वर्तमान में प्रदर्श 3 ग्राम पामाडी की जमाबंदी खाता सं. नया 171 पुराना 170 के अनुसार खसरा नं. 459 किस्म गै0 मु0 नाला चारागाह भूमी दर्ज है। प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–2071 के अनुसार खसरा नं. 459 साबिक खसरा नं. 113 मिन से बने हैं। प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2034–2037 के साबिक खसरा नं. 113 मि0 15 बीघा 1 बिस्वा की किस्म बंजर चारागाह दर्ज है। पैरोकार सरकार ने जबाब में कथन किया है कि साबिक खसरा नं. 113 मिन प्रतिबंधित भूमी है जो आवंटन नहीं की जा सकती। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमी चारागाह किस्म गै0 मु0 नाला है जो पूर्व से ही प्रतिबंधित भूमी है जिसकी किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती है वादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहें है इसलिए उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय नहीं की जाती है।

तनकी सं. 2 आया वादीगण को वादग्रस्त भूमी से जबरन बेदखल नहीं करने एवं भूमी खसरा नं. 459 की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमी वर्तमान में चारागाह के खाते में गै0 मु0 नाला दर्ज है। जो प्रतिबंधित भूमी है जिसमें वादी प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं करा सकता इसलिए उक्त तनकी वादी के पक्ष में तय नहीं की जाती है।

तनकी सं. 3 आया प्रतिवादीगण वर्तमान रिकॉर्ड में आवंटन प्रतिबंधित भूमी (चरागाह) के खाते में किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं किये जाने व न ही वादग्रस्त भूमी में निषेधाज्ञा जारी की जावे के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादी द्वारा पेश राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जबाब के आधार पर एवं वादी द्वारा पेश प्रदर्श 3 के अनुसार खसरा नं. 459 गै0 मु0 नाला है जो चारागाह भूमी के खाते में दर्ज चारागाह भूमी/ गै0 मु0 नाले की भूमी प्रतिबंधित भूमी है जो आवंटन योग्य नहीं है उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 4 अनुतोष तनकी सं. 1 लगायत 3 के विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमी खसरा नं. 459 रकबा 0.75 ग्राम पामाडी वर्तमान में किस्म गै0 मु0 नाला चारागाह भूमी के खाते में दर्ज है जो प्रतिबंधित भूमी है। प्रतिबंधित भूमी की खातेदारी वादीगण को नहीं दी जा सकती इसलिए वादीगण वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खसरा नं. 459 ग्राम पामाडी किस्म गै0 मु0 नाला प्रतिबंधित भूमी होने के कारण दावा खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.11.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल उपखण्ड अधिकारीबांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास–रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारीबांदीकुई

उनवान–छोटेलाल बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत –दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 164 / 2023

अतः आदेश है कि वादीगण वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खसरा नं. 459 ग्राम पामाडी किस्म गै0 मु0 नाला प्रतिबंधित भूमी होने के कारण दावा खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.11.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

24/11/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

24/11/25

दस्तखत.....
ओहदा.....

Scanned with OKEN Scanner